बिहार सरकार,
खान एवं भूतत्व विभाग।

पत्रांक– 194 /एम0, पटना, दिनांक– 12/01/2023

प्रेषक,

मो0 मोईज उद्दीन,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

Email

M/S LETZ BUILD ENGICON
Prop-Preeti Kumari
15, MOTHER TERESA MARG, NORTH S.K. PURI, BORING ROAD, Patna.
Email- letzbuild2015@gmail.com

विषयः– **गया जिलान्तर्गत बालूखण्ड संख्या–08 (गया फल्गु–08) के खनन योजना के अनुमोदन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार बालू खनन नीति–2019 यथा संशोधित एवं बिहार खनिज (समानुदान अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशांधित 2021) के नियम–17 में वर्णित प्रावधानों के तहत् **गया जिलान्तर्गत बालूखण्ड संख्या–08 (गया फल्गु–08)** से संबंधित समर्पित खनन योजना के अनुमोदन पर प्राधिकृत समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत निम्न शर्त्तों एवं बंधेजों के तहत् खनन योजना अनुमोदित की जाती है –

1. उक्त खनन योजना केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा विनियमित अन्य सभी अधिनियम/नियमावली में वर्णित प्रावधानों को तथा किसी न्यायालय/अन्य न्यायिक संस्था द्वारा पारित किये गये न्यायादेश को बिना प्रभावित किये अनुमोदित किया जा सकता है।
2. उक्त खनन योजना का अनुमोदन खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (यथा संशोधित), बिहार खनिज (समानुदान अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–17, वन संरक्षण अधिनियम, 1980, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986, श्रम संबंधी नियम, EMGSM 2020 तथा अन्य सभी सुसंगत अधिनियम/ नियमावली तथा उनमें वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल नही होगा। लीज के रकवा के अनुसार प्रति हेक्टेयर कम से कम 10 पौधा लगाना होगा तथा 50 प्रतिशत Survival सुनिश्चित करना होगा।
3. खनन योजना में निहित शर्त्तों का पालन करते हुए ही बालू खनिज का खनन् तथा प्रेषण किया जायेगा।
4. संबंधित सक्षम प्राधिकार से यथा वांछित प्रमाण–पत्र प्राप्त कर विभाग को अवगत कराना अनिवार्य होगा।
5. यदि किसी भी समय खनन योजना में वर्णित शर्त्तों के अनुपालन में अनियमितता पायी जाती है, तो खनन पदाधिकारी को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
6. संबंधित बालूघाट में खनिज की उपलब्धता, पहुँच पथ का निर्माण तथा अन्य खनन् कार्यों से संबंधित सम्पूर्ण जबाबदेही बालूघाट संचालनकर्त्ता की होगी तथा इसमें किसी भी तरह का कोई दावा अथवा क्षतिपूर्ति मान्य नहीं होगा।
7. खनन योजना मे वर्णित सभी तकनीकि तथा अन्य बिन्दुओं से संबंधित ऑकड़ों की सत्यता / वैधता की जिम्मेवारी RQP/बंदोबस्तधारी की होगी तथा भविष्य में उपर्युक्त के संबंध में किसी प्रकार की भिन्नता/अनियमितता की पूरी जबावदेही RQP/बंदोबस्तधारी की होगी।
8. खनन् कार्य के दौरान घाट संचालनकर्त्ता द्वारा पर्यावरण संबंधी मानकों का नियमित रूप से अनुश्रवण करने की व्यवस्था करनी होगी।खनन् कार्य के दौरान नदियों के प्राकृतिक बहाव आदि में किसी भी तरह का व्यवधान/रूकावट/बदलाव करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।

P.T.O.